न्यायालय, जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 59/2018 अपील

सोहन लाल पुत्र लाला, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम रिणाऊ, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राज.)। अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र मोहन लाल
2. भंवरा पुत्र मोहन लाल
3. सुखदेव पुत्र मोहन लाल
4. बीदामी पत्नी मोहन लाल
5. कुरड़ाराम पुत्र नानूराम

समस्त जाति मेघवाल, निवासीगण ग्राम रिणाऊ, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राज.)।

6. हल्का पटवारी पटवार हल्का बाठोद तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः—

1. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री भगवान सिंह धायल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 30.07.2018 द्वारा तहसीलदार फतेहपुर, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 05 नवम्बर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः—

   (1) अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया गया है अर्थात बिना साक्ष्य सबूत के ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन से बाहर जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि चाहा गया अनुतोष से अलग हटकर अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया। जबकि आवेदन में अंकित तथ्यों एवं हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांकित 22.05.2018 के अनुसार निर्णय पारित किया जाना न्याय संगत था। जिसके विपरीत जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया गया है।

(2) अपीलान्ट कृषि भूमि खसरा संख्या 351 वाकै ग्राम रिणाऊ तहसील फतेहपुर जिला सीकर का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है तथा अपीलान्ट की कृषि भूमि में आवागमन का एकमात्र कदीमी रास्ता खसरा संख्या 349, 350/1, 350/2 में से पश्चिम से चलकर पूर्व की ओर अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा संख्या 351 में खसरा संख्या 350/2 की उत्तरी पूर्वी कोने में से प्रवेश करने का 12 फीट चौड़ा रास्ता सदैव से प्रचलित रहा है। उसी रास्ते से अपीलान्ट एवं उसके पूर्व के खातेदार निरन्तर एवं निर्विवाद रुप से आवागमन करके उपभोग–उपयोग में लेते रहे है परन्तु आवागमन के इस प्रचलित रास्ता को कृषि भूमि खसरा संख्या 350/1 व 350/2 वाकै ग्राम रिणाऊ के खातेदारान/रेस्पोडेन्टस ने दिनांक 10.05.2018 को खसरा नम्बर 350/1 पर तार व छड़ी डालकर रास्ते को रोक दिया तथा रास्ते का उपभोग–उपयोग करने से मना कर दिया। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस को समझाया की, यह रास्ता पूर्वजों के समय से ही चालू है तथा अन्य कोई रास्ता मेरे खेत से जाने का नहीं है तथा नाहीं कोई कटाणी रास्ता अपीलान्ट के खेत में से जाने का राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद है तथा प्रार्थी ने पशुधन हेतु अपने खेत में रिजका की बुआई कर रखी है अगर उसकी सिंचाई समय पर नहीं हुई तो रिजके की फसल पूर्णतया इस भंयकर गर्मी में जलकर खराब हो जायेगी तथा प्रार्थी के पशु की भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। भविष्य में भी बारिश का मौसम शुरु होगा तब भी प्रार्थी अपने खेत की बुवाई जुताई नहीं कर पायेगा। जिससे उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। परन्तु रेस्पो. को अपीलान्ट द्वारा समस्त प्रकार से समझाने पर भी उक्त रास्ता खोलने के लिये तैयार नहीं हुए तथा प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करने लग गये इस पर अपीलान्ट ने राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिविर न्याय आपके द्वारा राजस्व अभियान में अपीलान्ट ने दिनांक 15.05.2018 को रास्ता खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे तहसीलदार महोदय को प्रेषित किया। तहसीलदार महोदय ने अपने आदेश के द्वारा हल्का पटवारी से मौका की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की तथा हल्का पटवारी ने दिनांक 22.05.2018 को मौके पर उपस्थित होकर रिपोर्ट तैयार की जिसने अपनी रिपोर्ट में पूर्व में प्रचलित कदीमी रास्ता अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा संख्या 351 की दक्षिणी सीमा के पास खसरा संख्या 350/2 में से होते हुए खसरा संख्या 374 में जाना एवं उक्त रास्ता को खातेदारों द्वारा ट्रेक्टर से बुवाई कर तथा बाड़ व तार लगाकर बन्द करना एवं वर्तमान में उक्त रास्ता खसरा संख्या 350/1 व 350/2 में से होते हुए खसरा संख्या 374 में से जाना एवं इस रास्ता को खातेदारों द्वारा ट्रेक्टर से बुवाई कर बाड़ व तार लगााकर बन्द कर दिया जाना एवं वर्तमान में उक्त रास्ता खसरा संख्या 350/1, 350/2 के बीच से होते हुए खसरा संख्या 374

में होते हुए जाना एवं पूर्व में खसरा संख्या 351 का खातेदार उक्त में होते हुए अपने खेत में जाना एवं वर्तमान में खसरा संख्या 351 में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताया। उक्त रिपोर्ट पूर्णतया सत्य थी उसके पश्चात् अपीलान्ट ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी बिना किसी उचित आधार के भू–अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की जिसने दिनांक 12.06.2018 को मनमौजीपन से आरबीट्रेरी रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की परन्तु योग्य अधीनस्थ तहसीलदार ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया एवं गलत रिपोर्ट के आधार पर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो उभय पक्ष की साक्ष्य लेखबद्व किये और नाहीं पूर्व में हल्का पटवारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को अमान्य किया तथा सरसरी तौर पर ही दिनांक 30.07.2018 को चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया। जिसमें केवल मात्र भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.06. 2018 को ही आधार बनाया।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया अतः खसरा संख्या 351 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 349, 350/1, 350/2 के बीच में से खसरा संख्या 351 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक निर्णयानुसार संलग्न नक्शें में दर्शितानुसार 12 फीट चौड़ा रास्ता सुखाचार में में खुलवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश में वर्णित खसरा संख्या के अनुसार अपीलान्ट ने धारा 251 के आवेदन में रास्ता होने बाबत् अंकन ही नहीं किया गया था। अर्थात योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 351 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से खसरा संख्या 351, 352/1, 352/2 की दक्षिणी सीमा के सहारे 6 फीट चौड़ा रास्ता खसरा संख्या 352/2 की पूर्वी सीमा तक एवं इसके समानान्तर खसरा 350/2 व 374 में से 6 फीट चौड़ा रास्ता कुल 12 फीट चौड़ा रास्ता सुखाचार के लिये खुलवाये जाने का आरबीट्रेरी निर्णय पारित कर दिया जबकि इस प्रकार का कोई अनुतोष अपीलान्ट ने आवेदन में प्राप्त करना ही नहीं चाहा था नाही किसी दीगर व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्रस्तुत किया था नाही खसरा संख्या 351 में से दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे अन्दर की ओर 6 फीट चौड़ा रास्ता कभी प्रचलन में रहा बल्कि खसरा संख्या 351 की दक्षिणी–पशिचिमी कूट के मध्य खसरा संख्या 350/2 की उतरी सीमा के पास से ही 12 फीट चौड़ा रास्ता सदैव से प्रचलन में रहा है अर्थात खसरा संख्या 351 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे अन्दर की ओर से कोई रास्ता

नहीं रहा हैं। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में जटिलताएं पैदा करने के लिये एवं छोटे विवाद को बड़ा विवाद बनाने की गरज से क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का चुनौतीग्रस्त आदेश को अपास्त करके सुनवाई का समुचित अवसर देकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन एवं मौका रिपोर्ट दिनांक **22.05.2018** के अनुसार साक्ष्य लेखबद्व करके पुनः निर्णित करने का आदेश फरमावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सिंह धायल उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि खसरा संख्या 351 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 349, 350/1, 350/2 के बीच में से खसरा संख्या 351 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक निर्णयानुसार संलग्न नक्शें में दर्शितानुसार 12 फीट चौड़ा रास्ता सुखाचार में में खुलवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश में वर्णित खसरा संख्या के अनुसार अपीलान्ट ने धारा 251 के आवेदन में रास्ता होने बाबत् अंकन ही नहीं किया गया था। अर्थात योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 351 के दक्षिणी पशिचिमी कोने से खसरा संख्या 351, 352/1, 352/2 की दक्षिणी सीमा के सहारे 6 फीट चौड़ा रास्ता खसरा संख्या 352/2 की पूर्वी सीमा तक एवं इसके समानान्तर खसरा 350/2 व 374 में से 6 फीट चौड़ा रास्ता कुल 12 फीट चौड़ा रास्ता सुखाचार के लिये खुलवाये जाने का आरबीट्रेरी निर्णय पारित कर दिया जबकि इस प्रकार का कोई अनुतोष अपीलान्ट ने आवेदन में प्राप्त करना ही नहीं चाहा था नाही किसी दिगर व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्रस्तुत किया था नाही खसरा संख्या 351 में से दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे अन्दर की ओर 6 फीट चौड़ा रास्ता कभी प्रचलन में रहा बल्कि खसरा संख्या 351 की दक्षिणी–पशिचिमी कूट के मध्य खसरा संख्या 350/2 की उतरी सीमा के पास से ही 12 फीट चौड़ा रास्ता सदैव से प्रचलन में रहा है अर्थात खसरा संख्या 351 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे अन्दर की ओर से कोई रास्ता नहीं रहा हैं। फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में जटिलताएं पैदा करने के लिये एवं छोटे विवाद को बड़ा विवाद बनाने की गरज से क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का चुनौतीग्रस्त आदेश को अपास्त करके सुनवाई का समुचित अवसर देकर आवेदन एवं मौका रिपोर्ट दिनांक **22.05.2018** के अनुसार साक्ष्य लेखबद्व करके पुनः निर्णित करने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. वकील रेस्पोडेन्टस ने दौराने बहस अभिकथन किया कि उक्त रास्ता खसरा नम्बर 349 से चलकर खसरा नम्बर 350/1 व 350/2 से होता हुआ अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 351 की पश्चिमी भुजा को क्रॉश करके अपीलान्ट के स्वयं के खेत में प्रवेश करता है। खसरा नम्बर 351 के अन्दर से रास्ता आगे अपीलान्ट के भाई झाबरमल अपने हिस्से में प्रवेश करता है, उसके बाद में उक्त रास्ते से अप्रार्थीगण 1 से 5 अपने खसरा नम्बर 352/1 व 352/2 में जाते हैं। इसलिए अपीलान्ट को उक्त रास्ते से जाने की कोई मनाही नहीं है। खेत खसरा नम्बर का रास्ता अलग से है जो कि अपीलान्ट का खसरा नम्बर 374 से कोई सरोकार सम्बन्ध नहीं है। अतः उक्त अपील खारिज फरमाई जावे।

6. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.06.2018 तथा नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रिणाऊ से खसरा नम्बर 345, 347, 348, 349, 350/1, 350/2 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे आकर खसरा नम्बर 351 की उत्तरी पश्चिमी सीमा कोने तक रास्ता मौके पर अवस्थित है, जो खसरा नम्बर 351 में जाने हेतु बन्द है। खसरा नम्बर 351 की उत्तरी सीमा पर से होकर खसरा नम्बर 352/1, 352/2 में खसरा नम्बर 350/2 व 351 की उत्तरी सीमा कोने से जाता था जो कि अपीलान्ट ने दो वर्ष पूर्व बन्द कर दिया था। बाद में अपीलान्ट खसरा नम्बर 374, 377 में जाने वाले रास्ते से अपने खेत खसरा नम्बर 351 में जाने लग गया है, जबकि खसरा नम्बरान 345, 347, 348, 349, 350/1, 350/2 का रास्ता 351, 352/1, 352/2 की उत्तरी सीमा पर है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार फतेहपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर एक माह में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय आज दिनांकः **05 नवम्बर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yagya Mitra Singhdeo
Date: 2019.11.13 15:35:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: